

संक्षिप्त समाचार

राज्य स्तरीय सदस्यता शिविर का आयोजन
रायपुर के जिला सहकारी बैंक परिसर के सहकारी भवन में सफलता पूर्वक सम्पन्न



रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ फिल्म लोककला एवं नियमित थिएटर सहकारी समिति मर्यादित- CFLMT के द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय सदस्यता शिविर का आयोजन रायपुर के जिला सहकारी बैंक परिसर के सहकारी भवन में सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। सहकारी समिति के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित परगनिहा एवं छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका अलका परगनिहा (चंद्राकर) ने बताया कि पूरे प्रदेश के लोक कलाकारों एवं फिल्म कलाकारों ने जगत का उत्साह दिखाते हुए सैकड़ों की संख्या में सदस्यता ग्रहण किया। जिसमें बस्तर से जुड़े सभी कलाकारों की टीम भी दृष्टि द्वारा हुआ। पाठशाला की संयोजका श्रीमती संथायी दिलीप जैन अपनी महिला मंडल के साथ उपस्थित थी।

तीये का उठावना एवं पगड़ी रस्म आज

रायपुर (विश्व परिवार)। अत्यंत दुःख से सूचित किया जाता है कि श्री नरेंद्र कुमार जैन अधिननी नार निवासी का दुखद निधन दिनांक 04 जनवरी 2025 शनिवार हो गया है। जिनके तीये का उठावना, पगड़ी रस्म एवं श्रद्धांजलि सभा दिनांक 06/01/2025 सोमवार प्रातः 10:00 बजे श्री दिग्बार जैन धर्मशाला विद्यासागर हॉल, मालवीय रोड, रायपुर में रखा गया है। शोकाकुल परिवार- मनीष जैन (पुत्र) आदि जैन (सुपीत्र), सफल मेडिकल एवं समस्त परिजन।

युग पत्रकार मुकेश चंद्राकार को दी गई श्रद्धांजलि



राजिम (विश्व परिवार)। बीजापुर (बस्तर) के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकार की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर चौतरफा विरोध देखा जा रहा है यह घटना पत्रकारों के लिए सत्यव्य करने वाली एवं बेदू दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में पत्रकारिता हमेशा से चुनौतियों से भरी हुई है। लेकिन ताजा घटना ने बता दिया है कि एक भ्रष्ट व्यवस्था के खलाफ आवाज उठाने की कीमत जान दे कर चुकानी होती है। वहाँ सजिल नार के सुंदरलाल शर्म चौक में पत्रकारों ने दो मिनट का मौन रखकर मुकेश को श्रद्धांजलि दी। वहाँ घटना को लेकर आप्रोश भी जाताया है।

लोन लेने के लिए ITR बनवायें मात्र 500/- में

रोजर गुरा ONLYTDS.COM G.S.I. रिटर्न Food Licence
ITR GST
इकम TAX कार्ड M.S.M.E. रिटर्न
TDS रिटर्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट
हमारे TAX Expert आपकी
मदद हेतु तैयार है।
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17247/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17245
वार्ड का नाम- 42-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR566C0001C जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती BIRAM BAI DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती LATE. RUPRAM DEWANGAN के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती BALRAM DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती LATE. RUPRAM DEWANGAN ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विवाहनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत विक्रय विलेख/वंशानुक्रम/अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नाम पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संसद्या उत्तरीकृत व्यापारिक परिवर्तन में हक का दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। नियमित समयावधि परचात प्राप्त विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17245/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17243
वार्ड का नाम- 42-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR566C0001B जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती BIRAM BAI DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती LATE. RUPRAM DEWANGAN के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती BHOLARAM DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती LATE. RUPRAM DEWANGAN ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विवाहनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत विक्रय विलेख/वंशानुक्रम/अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नाम पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संसद्या उत्तरीकृत व्यापारिक परिवर्तन में हक का दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। नियमित समयावधि परचात प्राप्त विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17243/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17249
वार्ड का नाम- 67-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR566C0001A जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती NISHA PHUKE, AMIT PHUKE, और अन्य विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17249/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17249
वार्ड का नाम- 67-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR567K0013 जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती NISHA PHUKE, AMIT PHUKE, और अन्य विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17249/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17252
वार्ड का नाम- 67-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR567K0371C जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती KISHOR KUMAR AGRAWAL HUF जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR566C0001 जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती BIRAM BAI DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती SHWETA BIRAMI DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती ASHISH BIRAMI DEWANGAN ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विवाहनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत विक्रय विलेख/वंशानुक्रम/अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नाम पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संसद्या उत्तरीकृत व्यापारिक परिवर्तन में हक का दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। नियमित समयावधि परचात प्राप्त विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17249/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

इश्तिहार

नामतरण प्रक्र. 17249
वार्ड का नाम- 67-पं. सुदर्दलाल शर्मा वार्ड
एटद द्वारा सूचित किया जाता है कि 42 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रौद्योगी-आई.डी.- RPR567K0371C जो कि नियम अधिलेख में श्री/श्रीमती KISHOR KUMAR DEWANGAN पिता/पति, श्री/श्रीमती SUMANT PANDEY और अन्य विक्रय प्रकार की सुवार्द्ध नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिसमें दर्शन करें।

सुचना जारी करें
(जैन कर्मिनर)
जैन क्र. - 5
नगर पालिक नियम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक नियम,
रायपुर (जैन क्र.-5)
ईदगाहभाग, नवीन पानी टॉकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com
पत्र क्र. 17249/न.गा.नि./जैन क्र.-5/2025
रायपुर दिनांक : 05-01-2025

शासकीय योजनाओं से जुड़कर उठाए लाभ : विधायक राठिया

विरा में जिला स्तरीय जनसमर्पण निवारण शिविर का हुआ आयोजन

ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से किया गया लाभान्वित

जंगलों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व, पात्र व्यक्ति पात्रता के आधार पर पट्टा के लिए करें आवेदन: कलेक्टर

क्षेत्रासीर्यों से अपने बच्चों के बहुत भविष्य पर ध्यान देने का किया आगाह

कोरबा (विश्व परिवार)। कोरबा विकासखंड के सूदूरवर्ती ग्राम पंचायत चिरा में विधायक रामपुर श्री पूर्ण सिंह राठिया एवं कलेक्टर श्री अंजीत वसंत की उपस्थिति में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष कोरबा श्रीमती हरेश कंवर,



जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे, जनपद सीईओ श्रीमती कौशली गवेल, सरपंच चिरा श्रीमती नीलावाईसहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थिति थे। विधायक, कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का स्कूली विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक लोकगृह्य एवं स्वामान गीत के माध्यम से स्वागत किया। शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को आवेदन के माध्यम से रखा। इस दौरान

विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से अमज़ोनों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें लाभान्वित किया गया। कलेक्टर श्री अंजीत वसंत ने अमज़ोनों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों के आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराने के लिए निर्देश दिए। शिविर को संबंधित करते हुए विधायक रामपुर श्री राठिया ने कहा कि ग्रामीणों की शिक्षायों का निराकरण एवं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पात्रतानुसार आप सभी की मांगों का किसी भी प्रकार के प्रलोभन, लालच या

रामसेवक पैकरा की अध्यक्षता में मां बागेश्वरी लोक न्यास ट्रस्ट कुदरगढ़ की बैठक संपन्न

गोपाल सिंह विद्रोही



मंदिर परिसर में की जा रही रेस्ट हाउस निर्माण, सड़क निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। पी एच ई विभाग से मंदिर परिसर में ऑवरहेड टैंक निर्माण, सोलर अधोसंरचना के विकास, पेय जल आपूर्ति और इसके लिए कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके अलावा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सामुदायिक शौचालय निर्माण, गांधी पार्किंग, नियंत्रित यातायात व्यवस्था, भवनों का मंटेनेंस, सीटिंगों का निर्माण, जीणीद्वारा, शेड निर्माण, परिसर में विजली सुविधा का

विकास, स्ट्रीट लाइट, परिसर का सौंदर्यकरण, वृक्षारोपण, धर्मशाला निर्माण, खानपान सुविधा को बहतर करने, साफसफाई और कर्चरा निपटन, तालाब गहरीकरण एवं सौंदर्यकरण को लेकर कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके अलावा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सामुदायिक शौचालय निर्माण, गांधी पार्किंग, नियंत्रित यातायात व्यवस्था, भवनों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, एस डी एम धैरायाथन, ईई पी एच ई, ईई पी डब्ल्यू डी, जनपद सीईओ अड्डी, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी, भीमसेन अग्रवाल, श्री ठाकुर याजवेद, मेला अध्यक्ष भूषण रात्रप सिंह, अखिलेश प्रतापीया, शास्त्र त्रिपाय, अंजय चिरा द्वारा प्रतिवाद के आजीन्वत अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा की बैठक में विभिन्न विभागों से अपने बच्चों के बहुत भविष्य पर ध्यान देने आयोजित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री जयवर्धन सहित अधिकारी एवं कर्मचारी ने विकास कार्य हेतु मंदिर परिसर के विभिन्न व्याख्यानों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ पुलिस ने चलाई अभियान

कबीरधाम (विश्व परिवार)। कबीरधाम पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग करने वाले 06 बुलेट चालकों पर कार्रवाई की। ये वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पटाखों जैसी आवाज निकाल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृष्ठें बधें और पंकज पटेल में दो एसपी कृष्ण कुमार चंद्राकार, प्रशिक्षण डी-एसपी रिडिंग सिंह और थाना कार्यवाली प्रभारी लालजी रिंग्डा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष चेंकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संबंधित चालकों से जुमाना वसूला गया और उनके मॉडिफाई साइलेंसर हटाकर साइलेंसर लगाए गए। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नाराकिंवा से अपील की है कि मॉडिफाई साइलेंसर का उल्लंघन, बल्कि यह दूसरों की सुरक्षा और शांति की भी भाग करता है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि वे कंपनी द्वारा प्रदत्त व्यवस्था साइलेंसर का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। कबीरधाम पुलिस ने एसपी की गतिविधियों में लिप पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। यातायात सुरक्षा सुविधान करने के लिए पुलिस ने ड्रिंग एड ड्राइव, तेज रफ्तार वाहन और बिना रेंडर्यम वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

बिश्रामपुर (दैनिक अमर संभं न्यूज) -ग्राम पंचायत अजब नगर के शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक शाला अजब नगर, के विद्यालय र में ट्यूबेल खनन एवं शासकीय प्राथमिक शाला अजब नगर में अतिरिक्त कैमरा निर्माण कराए जाने हेतु कलेक्टर को जाना किया गया। अजब नगर में विद्यालय नियमों का उल्लंघन और वाहन चालकों के उपयोग के लिए विभिन्न विभागों से अपने बच्चों के बहुत भविष्य पर ध्यान देने आयोजित किया गया। अजब नगर में विद्यालय नियमों का पालन करने वाले बुलेट चालकों के उपयोग के लिए विभिन्न विभागों से अपने बच्चों के बहुत भविष्य पर ध्यान देने आयोजित किया गया। अजब नगर में विद्यालय नियमों का पालन करने वाले बुलेट चालकों के उपयोग के लिए विभिन्न विभागों से अपने बच्चों के बहुत भविष्य पर ध्यान देने आयोजित किया गया।

मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ पुलिस ने चलाई अभियान

कबीरधाम (विश्व परिवार)। कबीरधाम पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग करने वाले 06 बुलेट चालकों पर कार्रवाई की। ये वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पटाखों जैसी आवाज निकाल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृष्ठें बधें और पंकज पटेल में दो एसपी कृष्ण कुमार चंद्राकार, प्रशिक्षण डी-एसपी रिडिंग सिंह और थाना कार्यवाली प्रभारी लिंग्डा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष चेंकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संबंधित चालकों से जुमाना वसूला गया और उनके मॉडिफाई साइलेंसर हटाकर साइलेंसर लगाए गए। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नाराकिंवा से अपील की है कि मॉडिफाई साइलेंसर का उल्लंघन, बल्कि यह दूसरों की सुरक्षा और शांति की भी भाग करता है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि वे कंपनी द्वारा प्रदत्त व्यवस्था साइलेंसर का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। कबीरधाम पुलिस ने एसपी की गतिविधियों में लिप पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। यातायात सुरक्षा सुविधान करने के लिए पुलिस ने ड्रिंग एड ड्राइव, तेज रफ्तार वाहन और बिना रेंडर्यम वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ पुलिस ने चलाई अभियान

कबीरधाम (विश्व परिवार)। कबीरधाम पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग करने वाले 06 बुलेट चालकों पर कार्रवाई की। ये वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पटाखों जैसी आवाज निकाल रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पृष्ठें बधें और पंकज पटेल में दो एसपी कृष्ण कुमार चंद्राकार, प्रशिक्षण डी-एसपी रिडिंग सिंह और थाना कार्यवाली प्रभारी लिंग्डा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष चेंकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संबंधित चालकों से जुमाना वसूला गया और उनके मॉडिफाई साइलेंसर हटाकर साइलेंसर लगाए गए। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नाराकिंवा से अपील की है कि मॉडिफाई साइलेंसर का उल्लंघन, बल्कि यह दूसरों की सुरक्षा और श

संपादकीय स्कूल शिक्षा और नो डिटेंशन पॉलिसी

अश्विन मैच जिताऊ खिलाड़ी रहे हैं.....

डा. वरिंदर भाटिया

फेल होने की आशका से छात्र पढ़ाइ में अधिक गंभीरता दिखा सकते हैं। यह कदम शिक्षकों को भी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरी ओर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह नीति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। देहात में शिक्षा के संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता इन छात्रों को पीछे छोड़ सकती है। छोटे



करने का एक मजबूत कारण यह बना कि इस पालसी को लागू किए जाने के बाद फ़िड्डेकै पॉजिटिव नहीं आया। यह शिकायत आम थी कि बच्चों और अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी कम होती जा समझ आर सतत मूल्यांकन के माडल का अपनान की जरूरत है। यह नियंत्रण तभी सफल होगा जब स्कूल शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाए।

आलेख

**अब सम्मान नहीं बल्कि लोकप्रियता
हासिल करना ही मुख्य लक्ष्य है.....**

श्रुति व्यास

वर्ष 2025 में सरल कर व्यवस्था की अपेक्षा

निश्चित रूप से देश के छोटे-बड़े सभी करदाता वर्ष 2025 में सरल कर व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं। यद्यपि सरकार सरल कर व्यवस्था के लिए एक के बाद एक लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन नये वर्ष में अभी और अधिक सरल कर व्यवस्था जरूरी दिखाई दे रही है। पिछली 21 दिसम्बर को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की जैसलमेर में हुई 55वें बैठक में जीएसटी के सरलीकरण और राहत संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खास तौर से छोटे कर्जदारों को राहत देते हुए कहा गया है कि ऋण शतरे का पालन नहीं करने पर ऋणदाताओं द्वारा जो जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खास किस्म के फोर्टफाइट चावल पर जीएसटी कम किया गया है। कैंसर की जीन थेरेपी को कर-मुक्त किया गया है। इस्तेमालशुदा यानी पुराने वाहनों की बिक्री पर कर दर 18 फीसद कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त, 2024 में आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त वी. के. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति कर रियायतों को तर्कसंगत बनाने, कर गणना के तरीके का स्तर बढ़ा कर इसे विस्तरीय बनाने और अपील करने की व्यवस्था में जटिलता कम करने संबंधी सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। समिति कर विशेषज्ञों और विभिन्न निकायों से प्राप्त सिफारिशों की समाप्ति कर रहा है। जातव्य हक आयकर आधानियम, 1961 की करीब 90 धाराएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। ये धाराएं विशेष अधिक क्षेत्र, दूरसंचार, पूँजीगत लाभ सहित कर छूट एवं कटौती जैसे मामलों में कारगर नहीं रह गई हैं। मौजूदा सेत पर कर कटौती (टीडीएस), सेत पर कर संग्रह (टीसीएस) व्यवस्था को सरल करने, सीमा शुल्क कानून की तरह ही यह समिति दरों की व्यापक अनुसूची बनाने पर आगे बढ़ रही है। इससे कानूनी जटिलताएं और मुकदमेबाजी में काफी कमी आएगी तथा कर कटौती प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। उम्मीद है कि गुप्ता समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत होगी और इसके आधार पर विधि मंत्रालय की मदद से नये आयकर विधेयक का मस्तौदा तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में तेज सुधारों का सिलसिला लगातार बढ़ा है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पिछले एक दशक से आयकर कानून में जो अहम सुधार किए गए हैं, उससे जहां आयकरदाताओं को सुविधा मिली है, वहीं आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना बढ़ कर 10.45 लाख करोड़ रुपये का रहा। यहां भी कोई छोटी बात नहीं है कि आयकर वर्ष 2023-24 में 8.09 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। साथ ही, मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और अधिक

आयकर प्राप्त का पारदृश्य उभरता दिखाई द रहा ह। जिस तरह देश में आयकर संबंधी सुधारों से आयकरदाताओं की संख्या और आयकर राशि में तेजी से इजाफा हुआ है, उसी तरह देश में अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार हुआ है। ऐतिहासिक सुधार कहा जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी का संग्रहण 20.18 लाख करोड़ 8 पर्ये पहुंच गया, जो पूर्ववर्ती साल के मुकाबले 11.7 फीसद वृद्धि दिखाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से नवम्बर, 2024 के बीच जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 9 फीसद बढ़ कर 14.56 लाख करोड़ हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुनिया की तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति की नई ऊँचाईयों के कारण देश में टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि हो रही है। वस्तुतः कर संग्रह में तेज वृद्धि से बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की क्षमता बढ़ रही है। सरकार की मुट्ठी में बढ़ता कर राजस्व न केवल अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण में मदद कर रहा है, बल्कि सरकार को अपने करदाताओं के प्रति जवाबदेह भी बना रहा है। चूंकि देश ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कर सुधारों के साथ कर संग्रह में लगातार इजाफा जरूरी होगा और तकनीक के ज्ञादा इस्तमाल से कर संग्रह में वृद्धि तज का जाना होगी। ऐसे में उपयुक्त होगा कि आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए गठित गुप्त समिति शीघ्रतापूर्वक अपनी रिपोर्ट पूर्ण करते हुए इस बात पर ध्यान दे कि प्रति व्यक्ति आय के लिए छूट की सीमा को कम करने के मद्देनजर छूट के स्तर को निकट भविष्य में अपरिवर्तित रखा जाए। समिति को ध्यान देना होगा कि करदाताओं की संख्या में इजाफा कर व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष बनाया जाए ताकि इससे कर भुगतान को लेकर दृष्टिकोण को सही दिशा में बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार जीएसटी की जटिलताएं कम करके इसे अधिक सरल और कारगर बनाना होगा। नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से जीएसटी अनुपालन जितना अधिक कारगर होगा, उतना ही अधिक जीएसटी संग्रह बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा, जीएसटी चौरी के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी अभियान चलाया जाना होगा क्योंकि कई कारोबारी फर्जी बिल के इनपुट टैक्स ट्रैफिक का लाभ उठा रहे हैं। टैक्स चौरी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी बदलाव किए जाने होंगे। जीएसटी दरों को कम करने के साथ जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाना होगा। समय आ गया है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगाने वाले 18 फीसद जीएसटी में राहत सुनिश्चित की जाए। क्रिक कॉमर्स कंपनियों पर जीएसटी को लेकर निर्णय लिया जाए। पेट्रोलियम उत्पादों और जमीन एवं रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए।

भारत के डिजिटल भविष्य का नया स्वरूपः डेटा सुरक्षा के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण

- श्री अधिनी वैष्णव

जब हम वैश्विक भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ये शब्द, लोगों को पहले रखने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इस दर्शन ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 के मस्तैद को आकार देने में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन किया है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू हो जाएगा, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित भाषाओं में से किसी में भी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है, यह रूपरेखा समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बच्चों की सुरक्षा

करेगा ।

सशक्तिकरण का एक नया युग

भारतीय नागरिक डीपीडीपी नियम, 2025 के केंद्र में है। डेटा के बढ़ते वर्चस्व वाली दुनिया में, हमारा मानना है कि व्यक्तियों को शासन की रूपरेखा के केंद्र में रखना अनिवार्य है । ये नियम नागरिकों को कई अधिकारों से सशक्त बनाते हैं, जैसे सूचना आधारित सहमति, डेटा मिटाने की सुविधा और डिजिटल रूप में नामांकित व्यक्ति को नियुक्त करने की क्षमता, आदि । नागरिक अब उल्लंघनों या अनाधिकृत डेटा उपयोग के सामने असहाय महसूस नहीं करेंगे । उनके पास अपनी डिजिटल पहचान को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और प्रबंधित करने के लिए उपकरण होंगे । नियमों को सरलता और स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय, चाहे उनके पास तकनीकी ज्ञान कुछ भी हो, अपने अधिकारों को समझ सकता है और उनका प्रयोग कर बचाव सुनिश्चित करते हैं । ये प्रावधान भविष्य की पांडी के लिए एक सुकृति डिजिटल परिवृश्य बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं ।

विनियमन के साथ विकास का संतुलन

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक वैश्विक सफलता की गाथा रही है और हम इस गति को बनाए रखने के प्रति दृढ़ हैं । हमारी रूपरेखा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को सक्षम करते हुए नागरिकों के लिए व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है । विनियमन पर बहुत अधिक जोर देने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों के विपरीत, हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक और विकासोनुस्खी है । यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की सुरक्षा की जाए और नवाचार भावना को दबाया न जाए, जो हमारे स्टार्टअप और व्यवसायों को प्रेरित करती है । छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए अनपालन बोझ कम हो जाएगा । हितधारकों की अलग-

अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों के वर्गीकृत जिम्मेदारियों के साथ डिज़ाइन किया गया है। डेटा विश्वास के मूल्यांकन के आधार पर, बड़ी कंपनियों के पास उच्च दायित्व होंगे, जो विकास को बाधित किए बिना जवाबदेही सनिश्चित करेंगे।

डिजिटल-प्रथम दर्शन

इन नियमों के मूल में डिजाइन से डिजिटल दर्शन है। डेटा सुरक्षा बोर्ड मुख्य रूप से एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसे शिकायतों का समाधान करने वाला भी हो सकता है। यह नियम उत्तराखण्ड के लिए अद्वितीय है, और इसका लाभ लोगों को देना चाहिए।

जल्दी में लाभ प्राप्त करना, जिस संसाधनकोता का समावान प्राप्त करना और अनुपालन लागू करने का काम सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, हम दक्षता, पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हैं। नागरिक शारीरिक उपस्थिति के बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल-पथम दण्डिकोण सहमति व्यवस्था और डेटा वैश्विक डेटा शासन मानदंडों को आकार देने में भारत के

प्रबंधन कार्य तक फैला हुआ है ।

सुव्यवास्थित करके, हम बड़ा कपानया के लिए अनुपालन करना और नागरिकों के लिए जुड़ना आसान बनाते हैं, जिससे प्रणाली में विश्वास बढ़ता है।

समावेशी दृष्टिकोण

इन नियमों की यात्रा उनके अधिप्राय जितनी ही समावेशी रही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के सिद्धांतों पर आधारित, मसौदा नियम विभिन्न हितधारकों से एकत्र किए गए व्यापक इनपुट और वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों के अध्ययन का परिणाम है। नागरिकों, व्यवसायों और नागरिक समाज से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करते हुए, हमने सार्वजनिक परामर्श के लिए 45-दिनों की अवधि निर्धारित हुई। नाविकाओं के लिए अनुकूल वातावरण के बढ़ावा देकर, हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जिसका दुनिया अनुसरण कर सकती है। हमारी प्रतिवेदित स्पष्ट है: इस डिजिटल युग में प्रत्येक भारतीय को सुरक्षित, सशक्त और सक्षम बनाना। मैं प्रत्येक नागरिक, व्यवसाय और नागरिक समाज समूह को परामर्श अवधि के दौरान टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करके इस संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इन नियमों को परिष्कृत करें ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो सके, जो वास्तव में एक सुरक्षित, समावेशी और संपन्न डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हो। (पीआईबी)

शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल
परीक्षा 11 और 12 जनवरी 2025 को

रायपुर (विश्व परिवार)। शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा 11 एवं 12 जनवरी 2025 को विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थीगण परिषद की वेबसाइट <https://ctsp.cg.nic.in> से अपने ईडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद के सचिव से मिली जानकारी के अनुसार 11 जनवरी को श्री शंकरचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मेनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुजगहन रायपुर, श्री शंकरचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नीकल केम्पस जुनवानी रोड भिलाई, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, पुराना उच्च न्यायालय रोड भिलासपुर, धमु महारा शासकीय कन्या पालिंगिनिक, धरमपुरा-2 जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 12 जनवरी को श्री शंकरचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मेनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुजगहन रायपुर, श्री शंकरचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नीकल केम्पस जुनवानी रोड भिलाई, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, पुराना उच्च न्यायालय रोड भिलासपुर, धमु महारा शासकीय कन्या पालिंगिनिक, धरमपुरा-2 जगदलपुर एवं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑटोएक्सपो 2025 के पोस्टर का किया विमोचन



रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड में रायपुर आटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएशन (राडा) के सदस्यों ने सोनजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान 15 जनवरी से 15 फरवरी तक राजधानी रायपुर के साइंस काउनेज ग्राउंड में आयोजित ऑटो एक्सपो 2025 के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बंडेल एवं रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुदंदर मिश्रा भी उपस्थित थे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रविन्द्र भसीन एवं प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को आयोजित 2025 के उद्घाटन हेतु मुख्य अंतिथि के रूप में सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण के लिए एसोसिएशन के सदस्यों को धन्यवाद दिया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भसीन ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि इस एक्सपो में छत्तीसगढ़ के

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुदं जिले में 217 करोड़ 17 लाख रुपए के 419 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमिपूजन

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के स्वामी आत्मानंद हिन्दू शासकीय उच्चार माध्यमिक विद्यालय महासमुदं में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अंतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसमें 111 करोड़ 21 लाख रुपए के 335 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 105 करोड़ 96 लाख रुपए के 84 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

लाख रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 122 विकास कार्य लागत राशि 8 करोड़ 49 लाख रुपए, विद्युत विभाग के 6 विकास कार्य लागत राशि 15 करोड़ 70 लाख रुपए, वन विभाग के 2 करोड़ 35 लाख रुपए लागत राशि के 7 विकास कार्य एवं नगरीय निकाय के 96 लाख रुपए लागत राशि के 38 कार्य शामिल हैं। भूमिपूजन अंतर्गत 8 विभागों के 103 करोड़ 68 लाख रुपए लागत राशि के 56 विकास कार्य शामिल हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग के 7 विकास कार्य लागत राशि 10 करोड़ 85 लाख रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 10 विकास कार्य लागत राशि 2 करोड़ 23 लाख रुपए, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ. विभाग के 14 विकास कार्य लागत राशि 13 करोड़ 65 लाख रुपए, जल संसाधन विभाग के 4 विकास कार्य लागत राशि 13 करोड़ 40 लाख रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 13 विकास कार्य लागत राशि 68 लाख रुपए, विद्युत विभाग के 4 विकास कार्य लागत राशि 9 करोड़ 62 लाख रुपए, वन विभाग के एक करोड़ 5 लाख रुपए लागत राशि के 2 विकास कार्य एवं नगरीय निकाय के 2 लाख 28 हजार रुपए लागत राशि के 28 विकास कार्य लागत राशि 4 करोड़ 76

तेरी दया पर चलती जिंदगी मेरी
जब भी कोई आये मुश्किल
तू ही दिखाये मुझको मंजिल

गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख-लख बधाईयां



समस्त प्रदेशवासियों को
गुरु गोविंद सिंह जयंती की
लख-लख बधाईयां

मनमोहन सिंह धावला
युवा भाजपा नेता

समस्त प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह
जयंती की लख-लख बधाईयां



RANJIT
Regd. 558715
Deals in:
• Sewing Machine,
• Overlock, Umbrella,
• Leather Stitch Machine
• Begcloser, & Spare Parts

MANAS®
Regd. 1442382
Cloth Cutting
Machine

सणजीत रेडिंग कंपनी
दर्जी लाइन, मालवीय रोड, (गोल बाजार थाना के सामने)
रायपुर मो.: 9893148799, 9977676660

समस्त प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह
जयंती की लख-लख बधाईयां



अधिकृत विक्रेता

SS सम्राट मिल स्टोर्स
स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
8109029600 0771-4034474

ritzkhanna@rediffmail.com www.samratmillstore.in

आपके पार का दिल, आप बनेगा और भी खाल
साजा आपना माइक्रोलैट किएन नए अंद्रज के साथ
गुरु गोविंद सिंह जयंती
की लख-लख बधाईयां

Gift Hamper upto ₹5,000

15 साल की वारंटी

₹55,000 ₹95,000 ₹1,50,000

C-4, Sector-1, Devendra Nagar, Near City Center Mall, Raipur

9977115597, 8319076661

NX
MODULAR KITCHEN Galaxy NX
KULDEEP BHATIA

पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री संतोष कांबले

एवं डिक्टी छीतीसगढ़ के मरीष बौद्ध जी

द्वारा की गई और राज्य के कार टीम के

प्रशिक्षकरियों एवं आमंत्रित क्षेत्रीय

समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से

अनुमोदित किया गया। इसके पूर्व

डीआईसीसीआई छीतीसगढ़ चैप्टर की

कमान श्री प्रभाद घड़े सम्हाल रहे थे।

उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अब

नए प्रेसीडेंट की नियुक्ति की गई है। डिक्टी

छीतीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष श्री ज्ञानजीत के उद्यमी

व्यवसायियों के हितों के लियते काम कर

रही देश का सबसे बड़ा संस्थान है 7 यह

बैठक राज्य के अनुसूचित जाति एवं

जनजाति के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी।

समस्त प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह
जयंती की लख-लख बधाईयां
समर्पित सेवा का 38वां वर्ष
देश-विदेश की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से

शिक्षा प्राप्त अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा संचालित

डरमो केयर कम्प्यूटराइज्ड, सौंदर्य, लेजर, चर्म,

सेक्स रोग चिकित्सालय एवं निदान केन्द्र

उपलब्ध सुविधाएं

- डायोड लेजर अति नवीनतम अनचाहे बाल हेतु,
- अति आधिक ND YAG लेजर, तिल जन्मजात निशान, टैट्टू हेतु
- Fractional II Co2 Laser Pico Frax Plus
- Pico Primer (नवीनतम)
- कायो थेरेपी
- Excimer (308nm) Laser
- Microdermabrasion and mesoderm
- चेहरे की चमक एवं कसाब हेतु, org/Oxy peels
- सभी प्रकार के चेहरे, गले के दाग, झाँड़, झूरियां, मस्तों का अति आधिकतम मरणीदार द्वारा उपचार

परामर्श हेतु

समय 10.30 से

शाम 5.40 बजे

फोन: 0771-2523367, 0771-4062616, 07587259490, 07389356217

सिविल लाइन्स, मुख्यमंत्री निवास के सामने, रायपुर (छ.ग.)

फोन: 0771-2423303 मो. 09575302541, 09425202541

फाफाडी हौक, रायपुर (छ.ग.)